

‘मृत्युपूर्व घोषणा’ और संबंधित नयिम

प्रलिस के ललल

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मृत्युपूर्व घोषणा

मेन्स के ललल

मृत्युपूर्व घोषणा: महत्त्व और संबंधित वलवल

चर्चा में क्यों?

हलल ही में **‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो’** (CBI) की एक वलशेष अदललत ने हत्या के एक आरोपी की हरलसत में मौत के ललल दो पुलसलकर्मलल को उमरकैद की सज़ा सुनलई, जो कलपीडतल दवलरल की गई ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ पर आधलरतल है ।

- **‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो’** (CBI) भारत की प्रमुख जलँच एजेंसी है । यह भारत सरकार के कलर्मकल, पेंशन तथल लोक शकललयत मंत्रललय के कलर्मकल वलभलग [जो प्रधानमंत्री कलर्यललय (PMO) के अंतर्गत आतल है] के अधीकषण में कलर्य करतल है ।

प्रमुख बलदु

‘मृत्युपूर्व घोषणा’ कल आशय

- भारतीय सलकष्य अधनलनलम, 1872 की धलरल-32(1) ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ को मृत व्यक्त्तल दवलरल दलल गए प्रलसंगकल तथ्यो के लखलतल यल मौखकल बयलन के रूप में प्रलभलषतल करतल है । यह उस व्यक्त्तल कल कथन हलतल है जो अपनी मृत्यु की प्रलसलथतलललो के बलरे में बतलते हुए मर गलतल थल ।
 - यह इस सलदुधलत पर आधलरतल है कल एक व्यक्त्तल झूठ के सलथ अपने सृजनकरत्तल के समकष नही जल सकतल ।
- अधनलनलम की धलरल 60 के तहत सलमलन्य नलनलम यह है कल सलभी मौखकल सलकष्य प्रत्यक्ष होने चलहलल यलनी पीडतल ने इसे सुनल, देखल यल महसूस कलल हो ।

‘मृत्युपूर्व घोषणा’ संबधी नलनलम

- ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ को मुखयत: दो वयलपक नलनलमो के आधलर पर सूवीकृतल दी जल सकतल है:
 - जब पीडतल प्रलरल: अपरलध कल एकमलत्त प्रमुख प्रत्यक्षदरशी सलकष्य हो ।
 - ‘आसन्न मृत्यु कल बोध’, जो न्यललयलल में शपथ दललयतल के समलन ही हलतल है ।

‘मृत्युपूर्व घोषणा’ की रकलरडगल:

- कलनून के अनुसलर, कोई भी व्यक्त्तल मृतक कल मृत्युपूर्व बयलन दरज कर सकतल है । हलललकल न्यललयकल यल कलर्यकलरी मजसलद्रेट दवलरल दरज कलल गलतल मृत्युकललीन बयलन अधललयजन मलमले में अतरलकलत शकत्तल प्रदलन करेगल ।
 - ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ कलई मलमलो में "घटना की उत्पत्तल को सलबतल करने के ललल सलकष्य कल प्रलथमकल हलसलसल" हो सकतल है ।
- इस तरह की घोषणल के ललल अदललत में पूरी तरह से जवलबदेह होने की एकमलत्त आवश्यकतल पीडतल के ललल सूवेचछल से बयलन देनल और उसकी मलनसकल सथतल कल सूवसथ्य हलनल है ।
 - मृत्यु से पहले की गई घोषणल को दरज करने वलले व्यक्त्तल को इस बलत से संतुषुट हलनल चलहलल कलपीडतल की मलनसकल सथतल ठीक है ।

ऐसी सथतलललो जहलँ न्यललयलल इसे सलकष्य के रूप में सूवीकलर नही करतल है:

- हलललकल ‘मृत्युपूर्व घोषणल’ अधकल प्रलभलकलरी हलतल है क्यलँकल आरोपी के पलस जरलह की कोई गुंजलइस नही हलतल है ।
 - यही कलरण है कल अदललतलो ने सदैव इस बलत पर ज़ोर दललल है कल ‘मृत्युपूर्व घोषणल’ इस तरह की हलनी चलहलल कल अदललत को इसकी सत्यतल पर

पूरा भरोसा हो।

- अदालतें इस बात की जाँच करने के मामले में सतर्क होती हैं कर्मृतक का बयान किसी प्रोत्साहन या कल्पना का उत्पाद तो नहीं है।

पुष्टि की आवश्यकता (सबूत के समर्थन में):

- कई नरिण्यों में यह उल्लेख किया गया है कथिह न तो कानून का नयिम है और न ही वविक का, कर्मृत्यु से पहले की घोषणा की बनिा पुष्टिकियि काररवाई नहीं की जा सकती है।
 - यदनियायालय इस बात से संतुष्ट है कर्मृत्युपूरव घोषणा सत्य और स्वैच्छिकि है तो बनिा पुष्टिकिे उस आधार पर दोषसदिध किया जा सकता है।
- जहाँ मृत्युपूरव घोषणापत्र संदेहास्पद हो, उस पर बनिा पुष्ट साक्ष्य के काररवाई नहीं की जानी चाहिये क्योकर्मृत्युपूरव घोषणा में घटना के बारे में वविरण नहीं होता है।
 - इसे केवल इसलिये खारजि नहीं किया जाना चाहिये क्योकथिह एक संक्षपित कथन है। इसके वपिरीत कथन की संक्षपितता ही सत्य की गारंटी देती है।

चकितिसकीय राय की वैधता:

- आमतौर पर अदालत इस बात की संतुष्टिकिे लयि चकितिसकीय राय ले सकती है ककिया वयक्तमृत्युकालीन घोषणा करने के समय स्वस्थ मानसकि स्थतिमें था।
- लेकनि जहाँ चश्मदीद गवाह के कथन के अनुसार वयक्तिने मौत से पहले घोषणा मानसकि रूप से स्वस्थ और सचेत अवस्था में की है, वहाँ चकितिसकीय राय मान्य नहीं हो सकती।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/dying-declaration>

